प्रबंध निदेशक का भाषण

माननीय मंत्री महोदय, श्री हकीम, श्रीमती नीरजा राजकुमार, श्री मित्रा उपस्थित केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी गण, बैक अधिकारी, विभिन्न राज्यो से आये पोल्ट्री डेयरी कृषक और मित्रो

आज सेन्ट्रल सेक्टर प्लान की पोल्ट्री एवं डेयरी वेंचर कैपिटल फंड योजना का शुभारंभ है जिसके बारे मे श्री हकीम एवं श्रीमती नीरजा जी ने आपको यह जानकारी दी है कि योजना का उद्वेश्य क्या है, किस किस एक्टीविटी को इसमे शामिल किया गया है, योजना किस प्रकार अमल मे ली जाएगी तथा योजना मे फंड का वितरण एवं इस्तेमाल कैसे किया जाएगा.

योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसको बैको द्वारा केटेलाइज किया जा रहा है तथा नाबार्ड इसमे फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है. अतः मै केवल दो मुददो पर बात करुंगा वो है पहला कि इसमे बैक क्या भूमिका निभायेगे तथा नाबार्ड से क्या अपेक्षित है और क्यों.

अगर हम एग्रीकल्चर एवं एनीमल हसबेंडरी क्षेत्र की तुलना करे तो यह तथ्य सामने आता है कि जीडीपी मे एग्रीकल्चर का हिस्सा कम हो रहा है तथा एनीमल हस्बेडरी का हिस्सा बढ रहा है जो इन आंकडो से साबित होता है कि 1981-82 मे एग्रीकल्चर का

हिस्सा 39 प्रतिशत था जो वर्ष 2001-02 में 24 प्रतिशत हो गया जबकि एनीमल हस्बेडरी का हिस्सा इसी अवधि मे 4.8 प्रतिशत से बढकर 6 प्रतिशत हो गया. अतः पहला मुददा यह है कि हमे उस क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करना चाहिये जो लगातार बढ रहा है तथा जो डिमान्ड ड्रिवन है.

दूसरा अगर एनीमल हसबेंडरी क्षेत्र को ही देखे तो इसके अन्तर्गत डेयरी मे दस वर्षो की ग्रोथ रेट 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है तथा बायलर पोल्ट्री मे यही वृद्धि दर 12 से 15 प्रतिशत रही है. यह ग्रोथ रेट महत्वपूर्ण है तथा हमें इसे लेवरेज करने की आवश्यकता है.

तीसरा मुदा यह है कि एनीमल हसबैंड्री क्षेत्र में छोटे एवं मार्जिनल किसान डोमीनेट करते हैं. 78 प्रतिशत लाइव स्टाक मार्जिनल एंड छोटे किसानों के पास है परन्तु इनके पास केवल 38% भूमि ही है. इस क्षेत्र में रोजगार के पोटेन्शियल बहुत अधिक है. ऐसे हालात में इन किसानों को वेन्चर केपीटल फंड योजना उनकी आमदनी बढाने में एक महत्वपूर्ण कदम है. ये वो कारण है जिसके आधार पर वेन्चर केपीटल फंड योजना शुरु की गई है.

अब यह मुद्दा आता है कि इस क्षेत्र की समस्याएँ क्या हैं तथा उसका समाधान क्या है

पहला, एनीमल हसबैंड्री उत्पादकों को मार्केट से जोडऩा क्योंकि केवल दूध उत्पादन का उदाहरण दें तो दूध उत्पादन का 85% असंगठित क्षेत्र में है .

दूसरा एनीमल हसबैंड्री उत्पाद में प्रोसेसिंग एंड वेल्यू एडीसन की बहुत जरुरत है.

तीसरा पशुओं के मैन्टेनेन्स एंड सेनेटरी व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है.

चौथा इस क्षेत्र को नवीनतम टेक्नोलोजी से जोडना है क्योंकि देश में कई प्रकार की केटल ब्रीडींग योजनाएं चलने के बावजूद भी केवल 24% केटल क्रोस ब्रेंड है. अगर उदाहरण के लिए आँकडें दिये जाये तो जहाँ क्रॉस ब्रेंड गाय का दूध उत्पादन 6 लिटर प्रतिदिन है वहाँ देसी गाय का दूध औसत उत्पादन केवल 1.4 लीटर है इसी से दूध उत्पादन पोटेंशियल का अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे तो हम केवल भारत की ही नहीं पूरे विश्व की दूध की डिमांड पूरी कर सकते हैं.

इस वेन्चर केपीटन फंड योजना को बनाते समय जिन मुद्दों पर जोर दिया गया है, मैं उनको संक्षिप्त से बताना चाहूँगा.

पहला यह योजना पूरे भारत में सभी राज्यों एंड यू.टी में लागू है तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया गया है.

दूसरा बेरोजगार युवक/युवतियों तथा महिलाओं को लाभ प्रदान करने पर जोर दिया गया है.

तीसरा - वेल्यू एडीशन एवं क्लीन दूध के उत्पादन पर जोर दिया गया है.

चौथा - समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को इन्सेटिव दिया गया है.

पाँचवा - नई टेक्नोलाजी के उपयोग को बढावा देना

छटा - बैंक प्रबंधकों को पर्याप्त डिसक्रीशन दिया गया है.

योजना का इम्पलीमेंटेंशन सितम्बर 2005 से किया जा रहा है तथा अब तक हुई प्रगति के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि योजना के 12 करोड के टारगेट के विरुद्ध 9.22 करोड की राशि का फंड वितरित किया जा चुका है. इसमें से उत्तर पूर्व भारत के लिए निर्धारित 2 करोड के टारगेट के अंतर्गत शत प्रतिशत प्राप्ति कर ली गई है.

आँकडे संतोषजनक है परन्तु मेरा विचार है कि इसकी प्रगति तीन गुना होनी चाहिए जिसके लिए नाबार्ड/ राज्य सरकार/ बैंकों की क्या भूमिका है उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा.

प्रथम योजना के प्रचार-प्रसार में गति लाने की आवश्यकता है.

दूसरा - अभी तक हम इस संबंध में राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर उपलब्ध बैंकों के व राज्य सरकार के संयुक्त फोरम में इसकी चर्चा करते आये हैं परन्तु मेरा मान्यता है कि इसकी चर्चा उन लोगों के बीच की जाये जहाँ इसकी डिमांड है तथा उन्हें ऋण प्राप्त करने हेतु आगे आने के लिए तैयार करें.

तीसरा - पोटेन्शियल किसानों को लोन प्रोसिजर के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाये.

चौथा - बैंक लोन प्रोसीजर का सरलीकरण किया जाये.

पाँचवा - एनीमल हसबैंड्री गतिविधि हेतु किसानों के ज्वांइट लाइब्लिटी ग्रुप का गठन किया जाए. वर्तमान में कृषि कार्य हेतु ऐसे ग्रुप बनाये जा रहे हैं परन्तु कृषि की उत्पादन क्षमता सीमित होने के कारण ऐसे ग्रुपों का एनीमल हसबैंड्री क्षेत्र में बनाए जाने का पोटेंशियल अधिक है.

छटा - बैक/राज्य सरकार इस योजना में वर्तमान में केवल डेयरी पशुओं के वित्त-पोषण पर कन्सनट्रेट कर रहे हैं, मेरी सलाह है कि वे प्रोसेसिंग, वैल्यू एडीशन एंड मार्केटिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करे.

सातवां - योजना के प्रचार में यह भी संदेश जाये कि बैंक लोन की अदायगी समय पर की जाये तथा मेरा यह भी निवेदन है कि राज्य सरकार बैंकों को ऋण की वसूली में मदद करे.

अब यह मुद्दा भी महत्वपूर्ण है कि योजना की प्रगति फील्ड स्तर पर कैसे हो रही है. मेरा सुझाव है कि योजना को निरन्तर इवेल्यूवेट किया जाये. योजना में जहाँ ट्राइपारटाईट एग्रीमैंट की आवश्यकता है उन्हें सम्पादित किया जाए.

मैं योजना के अंतर्गत हुई प्रगति से संतुष्ट हूँ पर योजना के महत्व को देखते हैं जिसके बारे में मैंने सबको अवगत कराया है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुँगां कि योजना के फंड साईज में दाहिनी तरफ कम-से-कम एक जीरो ओर लगाने हेतु विचार करने का कष्ट करें.

मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि उनके अपने राज्य में एनीमल हसबैंड्री गतिविधियों ने किसान की माली हालत में बहुत परिवर्तन किया है तथा उसमें मंत्री महोदय के मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. मैं उन्हें यह वायदा करता हूँ कि जो स्वपन उन्होंने महाराष्ट्र में पूरा किया है मैं उसे पूरे भारत में लागू करने का प्रयास करुगाँ.

धन्यवाद,